Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 20, Issue No. 3, July-2023, ISSN 2230-7540

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत "युद्ध की अवधारणा": "मानवाधिकार" के संदर्भ में

डॉ. शिव शंकर सिंह*
सह प्राध्यापक, विधि विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना

सार - इस शोध पत्र के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन है कि "आज का युग युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है" ऐसा कथन उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिया था। इसी कथन के आलोक में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत युद्ध की अवधारणा का अध्ययन मानवीय विधि के संदर्भ में किया गया है। चुंकि मानवीय विधिए मानवाधिकार विधि की एक शाखा हैए इसीलिए इसका व्यापक रूप से अध्ययन मानवाधिकार विधि के संदर्भ में किया गया है। सन 261 ईसवी पूर्व महान सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग विजय के उपरांत युद्ध के भीषणए खतरनाकए दुखद परिणाम को देखकर "धर्म विजय" की नीति अपनाने को प्रेरित हुए। जिनका वर्णन महान सम्राट अशोक ने अपने तेरहवें शिलालेख में किया है। अशोक ने अपने "धर्म विजय" का सिद्धांत धार्मिक शिक्षा न होकर बल्कि एक सामाजिकए मानवीय और नैतिक नियमों का दस्तावेज है। "धर्म विजय" का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित था। यही सिद्धांत आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय मानववादी सिद्धांत के लिए प्रेरणा स्रोत बने होंगे। इस शोध पत्र के अंतर्गत यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि युद्ध कुछ नहीं हैए बल्कि मानवीय विधि के उल्लंघन की जननी है। चूंकि मानवीय विधि मानवाधिकार विधि की एक शाखा है। इसीलिए युद्ध मानवाधिकार विधि का प्रबल विरोधी है। अतः राज्य पछकारो को अपनी विवादों का समाधान मानवाधिकार विधि को ध्या में रखकर करना चाहिए ना की युद्ध के माध्यम से करना चाहिए

कीवर्ड - अंतर्राष्टीय विधि, धम्म विजय, मानवाधिकार विधि, युद्ध, मानवीय विधि, संयुक्त राष्ट्र

----------X----------

प्रस्तावना

सर्वप्रथम यदि हमें युद्ध एवं मानवतावादी विधि का उल्लेख एवं युद्ध दुष्परिणाम का, वर्णन प्राप्त होता है, तो वह "कलिंग युद्ध के पश्चात्" प्राप्त होता है। मगध साम्राज्य के महान सम्राट अशोक ने सन् 261 ई. पूर्व कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। परिणामस्वरूप कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गये। रणभूमि शमशान घाट में बदल गया था। इस दृष्य को देखकर महान सम्राट का हृदय पिघल गया। तब वे "धम्म विजय" की नीति अपनाने को प्रेरित हुए, जिसका वर्णन सम्राट अशोक के तेरहवें शिलालेख में मिलता है। अब तक महान सम्राट अशोक के कुल तेरह शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जिनमें मानवीय विधि के दृष्टिकोण से 7वाँ, 9वाँ, 11वाँ, 12वाँ, 13वाँ शिलालेख महत्वपूर्ण है। "धम्म विजय" जो धार्मिक शिक्षा न होकर, बल्कि एक सामाजिक, मानवीय एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। कलिंग युद्ध के पष्चात् महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। "धम्म विजय" का सिद्धान्त बौद्ध धर्म से प्रभावित था। जो मानवतावादी सिद्धान्त पर आधारित था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस एवं यूक्रेन के युद्ध पर मत व्यक्त किया कि "आज युग युद्ध का नहीं, बल्कि बुद्ध का है।" ऐसा मत उन्होंने कई अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर दिया था। अब यह प्रश्न उठता है कि "क्या 'युद्ध' मानवतावादी विधि का समर्थन करता है।"

युद्ध की अवधारणा: ग्रोशियस का सिद्धांतः

महान दार्शनिक राजनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के जनक ह्यूगो गोशियस (Hugo Grotius) के शब्दों में "मैंने देखा कि संपूर्ण ईसाई जगत में युद्ध छेड़ देने की खुली छूट थी, छोटी-छोटी बातों पर या बिना बात भी तलवारें म्यान से बाहर निकल आती थी। अब जब उठ जाते थे तो दैविक तथा मानवीय कानूनों के लिए सारा सम्मान जाता रहता था, मानो कि मनुष्यों को उस समय में कोई भी अपराध करने का अधिकार मिल गया हो।" उस समय चर्च एवं राज्य में इन युद्धों को रोकने एवं नियन्त्रित करने की शक्ति नहीं थी। युद्ध करने वाले पक्ष नैतिक नियमों का प्रायः उल्लंघन करते थे। इसलिए महान

www.ignited.in

दार्शनिक 'ग्रोषियस', एक दर्शन की खोज में लग गया जो सामाजिक तथा लौकिक उद्देष्यों को ध्यान में रखते हुए युद्ध के संचालन के लिए एक मापदण्ड निर्धारित की।" उसे इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई। प्राकृतिक विधि तथा राष्ट्रों के कानून में उसे राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध को विनियमित करने तथा युद्ध की विनाशलीला को नियंत्रित करने का एक बौद्धिक आधार मिला। यह मानना बेहद भूल होगी कि युद्ध के औचित्य पर पहला विचार करने वाला व्यक्ति ग्रोशियस ही था। इस प्रकार हमें 'ग्रोषियस' के पूर्व चैथी शताब्दी में सन्त ऑगस्टाइन तथा तेरहवीं शदी में संत टामसएक्वीनस तक जाने की आवष्यकता नहीं है। युद्ध के विषय में 16वीं शताब्दी में स्पेनिंष धर्मशास्त्रियों ने समीक्षा की थी। इटली के विधिशास्त्री एवं ऑक्सफोर्ड में सिविल विधि के प्राध्यापक ने एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने इन प्रष्नों की समीक्षा की कि युद्ध का क्या स्वरूप है, कौन लड़ाई छेड़ सकता है तथा उसके क्या उचित कारण हो सकते हैं। परन्तु इन सिद्धांतों काप्रोटेस्टेण्ट देशों में स्वागत नहीं हुआ। ग्रोशियस अपने प्रमुख ग्रंथ "दी लॉ ऑफ वार एण्ड पीस" की रचना करने के दो उद्देश्य थे। (1) वह तत्कालिक युद्ध संबंधी राष्ट्रों के व्यवहारों को संहिताबद्ध करना चाहता था। (2) वह स्वाभाविक विवेक के दृष्टिकोण से, उनके अन्याय तथा अनैतिकताओं को दूर करना चाहता था। ग्रोशियस ने कहा कि युद्ध से सदा के लिए बचे रहना असंभव है। इसलिए उन्होंने प्राकृतिक विधि के आधार पर भी उसे न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयत्न किया। युद्ध का उद्देष्य तथा लक्ष्य, जीवन की रक्षा करना तथा जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना और उनकी रक्षा करना है। इसलिए युद्ध,प्राकृतिक विधि के प्रथम सिद्धांत के, पूर्णरूप से अनुकूल है। इस प्रकार ग्रोशियस के अनुसार केवल वे युद्ध न्यायोचित और प्राकृतिक विधि के अनुकूल हैं जो आत्मरक्षा के लिए लड़े जाते हैं और सामाजिक उद्देष्यों के अनुकूल होते हैं, अन्य उद्देष्यों के लिए लड़े गये युद्ध अनुचित है। युद्ध वैध केवल तभी हो सकता है जबकि वह उस व्यक्ति के प्राधिकार के अन्तर्गत लड़ा जाये, जिसके हाथ में राज्य की संप्रभुता हो और कुछ निष्चित नियमों के अनुसार उसे चलाया जाये। ग्रोशियस का यह सिद्धांत, वर्तमान काल में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर तथा राष्ट्रसंघ की महासभा की विधि, का आधार है।

युद्ध की परिभाषा:

हाल (Hall) के अनुसार, "जब राज्यों के बीच मतभेद, इस सीमा तक पहुँच जाते हैं कि दोनों पक्षकार, शक्ति का प्रयोग करते हैं या उनमें एक हिंसा का प्रयोग करता है जिसको दूसरा पक्षकार शक्ति का उल्लंघन मानता है, युद्ध का संबंध स्थापित हो जाता है जिससे युद्धरत देश के सैनिक एक दूसरे के विरूद्ध तब तक नियंत्रित हिंसा का प्रयोग करते हैं, जब तक कि दोनों में से एक, शत्रु की इच्छित शर्तों को नहीं मानता।"(1)

स्टार्क के अनुसार,"युद्ध सामान्यतः मुख्य रूप से दो या दो से अधिक राज्यों के सषस्त्र सैनिकों के बीच होता है, और प्रत्येक युद्धरत देष का उद्देष्य होता है कि एक-दूसरे को हरा दे या उससे शांति के लिए, अपनी शर्तों को मनवाये।"(2)

डॉ. नगेन्द्र सिंह के अनुसार,"युद्ध का उद्देष्य शत्रु राज्य का पूर्ण विनाश नहीं वरन उसे सशस्त्र शक्ति से परास्त करना तथा अपनी शर्तों को मनवाना है।"(3)

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि "युद्ध मुख्यतः युद्धरत देशों की सेनाओं के बीच का संघर्ष है। परन्तु वर्तमान काल में युद्ध में ऐसा देखा जाता है कि युद्ध न केवल सेनाओं में होता है बल्कि इससे उन देशों के नागरिक भी प्रभावित रहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण, द्वितीय विश्वयुद्ध में हिरोषिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम का गिराया जाना है। जिसमें लाखों व्यक्ति मारे गये थे। प्रथम विष्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध एवं रूस बनाम यूक्रेन युद्ध ने अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध के नियम, वर्तमान युद्ध को नियंत्रित करने में पूर्णरूप से असमर्थ एवं अनुपयुक्त है।

"पूर्ण युद्ध" की अवधारणा: मानवाधिकार (मानवीय विधि:(

सामान्यतः युद्ध के अन्तर्गत, युद्धरत राष्ट्रों के सशस्त्र सैनिकों के मध्य संघर्ष है तथा इसका उद्देष्य शत्रु को परास्त करना अथवा अपनी शर्तें मनवाना है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक विकास, ड्रोन टेक्नोलॉजी तथा विनाषकारी शस्त्रों के परिणामस्वरूप यह परिभाषा अनुपयुक्त सिद्ध हो गई है। वर्तमान समय में युद्ध के सषस्त्र सैनिकों के अतिरिक्त, नागरिक भी प्रभावित होते हैं तथा युद्ध के नियमों का पालन असम्भव हो जाता है। अतः ऐसे युद्ध को "पूर्ण युद्ध" कहा जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, 'पूर्ण युद्ध' का वर्तमान में उदाहरण है। यूरोप का तीस वर्षीय युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विष्व युद्ध, पूर्ण युद्ध के उदाहरण हैं। पूर्ण युद्ध की अवधारणा, विद्यमान विधियाँ, प्रथाओं को अनुपयुक्त कर दिया है। जिसके अन्तर्गत युद्धबंदियों, घायल, बीमार नागरिक इत्यादि से संबंधित विधि अनुपयुक्त हो गये हैं।

www.ignited.in

सामान्यतः युद्ध प्रारंभ होते ही युद्धरत राज्यों के गैर-शत्रुतापूर्ण संबंध समाप्त हो जाते हैं। परन्तु परिस्थितियों की आवष्यकता, मानवीय आधार तथा अन्य कारणों से, युद्धरत राज्यों के गैर-शत्रुतापूर्ण संबंध कायम रह सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि जब इस तरह के संबंध हो, तो उसका सद्भाव में पालन किया जाना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत 'युद्ध' का विधिक नियंत्रण:

प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व युद्ध करना अथवा शांति स्थापित करना राज्यों की प्रभुत्वसम्पन्नता के अन्तर्गत आता था, अथवा राज्यों का युद्ध करने का अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियंत्रण के बाहर था, कई संधियाँ जैसे हेग अभिसमय 1899 और 1907 राज्यों के मध्य युद्ध संचालन के संबंध में नियम निर्धारित करती थी। इन संधियों के राज्य पक्षकारों का दायित्व था कि वे इनमें वर्णित नियमों के अनुसार ही युद्ध करें। 'राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा' की अनु. 12 से 15 द्वारा, सदस्य राज्य के युद्ध करने पर कुछ अंकुष लगा दिये गये थे। सन् 1928 में पेरिस संधि (केलाग-ब्रायण्ड पैक्ट) के अन्तर्गत राज्य पक्षकारों ने अपने विवादों का हल, शांतिपूर्ण ढ़ंग से करने को स्वीकार किया था, न कि युद्ध के माध्यम से विवादों को हल करने को स्वीकार किया था। सन् 1925 में लोकार्ना संधि, सन् 1924 का जेनेवा प्रोटोकाल भी उल्लेखनीय है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्, सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अन्तर्गत, युद्ध के नियंत्रण के लिए कुछ प्रावधान दिये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की 'प्रस्तावना' में "भावी पीढ़ियों को युद्ध के प्रकोप से बचाने" का संकल्प लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनु. 2(4) के अन्तर्गत "युद्ध" के स्थान पर 'बल का प्रयोग' तथा 'बल प्रयोग की धमकी' शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा इन शब्दों की अवधारणा 'युद्ध' की अवधारणा से अधिक व्यापक या विस्तृत है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद- 2(3) के अन्तर्गत राज्य अपनी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढ़ंग से करे। चार्टर के अनुच्छेद- 2(4) के अन्तर्गत, सदस्य राज्य अपनी अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राज्य की 'प्रादेषिक अखण्डता' तथा 'राजनीतिक स्वतंत्रता' के विरूद्ध बल का प्रयोग या उसकी धमकी नहीं देंगे। इस प्रकार न केवल 'युद्ध' बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में 'बल का प्रयोग' भी निषिद्ध कर दिया गया है।

चार्टर के अध्याय-6 के अन्तर्गत, राज्य के अपनी समस्याओं के शांतिपूर्वक समाधान के, अनेक तरीके बताये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, के अध्याय-7 के अनु. 33 से 38 तक, के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद को सामूहिक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई राज्य आक्रमण करता है या किसी संघर्ष में भाग लेता है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को खतरा होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अन्तर्गत दो प्रकार से "वैध युद्ध" हो सकता है।

(1) अनुच्छेद-51 के अन्तर्गत सदस्य राज्यों द्वारा आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए। (2)अनुच्छेद 33-38 के अन्तर्गत या अध्याय-7 के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सामूहिक कार्यवाही करते हुए। उदाहरण- कोरिया संघर्ष (1950), खाड़ी युद्ध (1991), कांगो संघर्ष (1960-61), इत्यादि। परन्तु इन संघर्षों के संबंध में भी संयुक्त राष्ट्र केवल युद्ध को समाप्त कराने में सफल हो पाया है। परन्तु इन संघर्षों का राजनैतिक हल निकालने में असफल रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत 'युद्ध' का प्रभाव:

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत युद्ध का प्रभाव, निम्न लिखित होता है -

1. ओपेनहाइम के अनुसार(4) युद्ध द्वारा युद्धरत राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों के पारस्परिक सभी विधिक संबंधों का अन्त हो जाता है तथा शांतिपूर्ण संबंध भंग हो जाते हैं तथा युद्ध के दौरान, युद्धरत देषों के संबंध, 'युद्ध के नियमों' द्वारा निर्धारित होते हैं।

2. 'राजनयिक संबंधों के वियना-अभिसमय 1961' के अन्तर्गत, युद्ध के प्रारम्भ होते ही, युद्धरत देषों के बीच राजनयिक संबंध तथा वाणिज्य दूत संबंधों का विच्छेद हो जाता है। राज्य अपने राजनयिक प्रतिनिधियों को वापस बुला लेते हैं।

3. युद्ध के प्रारम्भ होते ही युद्धरत राज्यों के बीच व्यापार एवं आवागमन सामान्यतः समाप्त हो जाता है। इस मत का समर्थन ब्रिटेन और अमेरिका राज्य करते हैं। जबकि जर्मन एवं फ्रान्सीसी इस नियम को सामान्यतः कुछ शर्तों के साथ मानते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विधिषास्त्री ओपेनहाइम के अनुसार यह विषय आवष्यक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विधि का न होकर राज्य विधि का है।

4. युद्धरत राज्यों के व्यक्तियों की संविदा में, युद्ध का प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय न होकर राज्य विधि

www.ignited.in

का विषय है। यह विषय, राज्यों की अपनी विधि के अनुसार, नियंत्रित होता है।

5. राज्यों के व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध प्रारम्भ होने से सभी संधियां समाप्त नहीं होती है। कुछ संधियां लागू रहती है जैसे सीमा को निर्धारण करने वाली संधि, हेग अभिसमय 1899 एवं 1907, बहुपक्षीय विधि निर्माण करने की संधियां, जो स्वास्थ्य, दवाएँ, उद्योग, सम्पŸिा की सुरक्षा से संबंधित है, तथा कुछ संधियां समाप्त हो जाती है, जैसे मित्रता की संधि। कुछ संधियां युद्ध के दौरान निलम्बित हो जाती है तथा युद्ध के बाद फिर से लागू हो जाती है। जैसे प्रत्यर्पण संधि।

6. शत्रु संपत्ति के संदर्भ में, राज्यों के व्यवहार से यह निष्कर्ष निकलता है कि युद्धरत राज्य अपने राज्य में स्थित सभी चल शत्रु संपत्ति जब्त की जा सकती है। परन्तु अचल संपत्ति को स्थायी रूप से ले लिया जा सकता है परन्तु उसकी जब्ती नहीं की जा सकती है, यह नियम सार्वजनिक शत्रु-संपत्ति के संदर्भ में लागू होती है जबकि व्यक्तिगत शत्रु संपत्ति का, जिस युद्धरत राज्य ने कब्जा कर लिया है, केवल अति आवष्यक सैनिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उसे लूटना या ले लेना, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरूद्ध है।

अमेरिका के मुख्य न्यायाधीष मार्षल ने निर्णय दिया था(5)कि सफलतापूर्वक युद्ध करने के लिए, व्यक्तिगत शत्रु सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है। जबकि न्यायमूर्ति फिलिप सी. जेसप ने मत व्यक्त किया कि "विदेषियों की प्राइवेट सम्पत्ति जब्त करना अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन है। परन्तु स्थल संपत्ति के वे नियम, समुद्र में शत्रु के जहाजों या जहाज के सामान, पर लागू नहीं होते हैं, शत्रु राज्य के जहाज या जहाज का सामान, चाहे वह प्राइवेट ही क्यों न हो, जब्त किये जा सकते हैं। यहाँ पर माननीय न्यायमूर्ति मार्षल का मत उचित प्रतीत नहीं होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि:

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि, अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की एक प्रणाली है। इसका उद्देष्य सभी व्यक्तियों के मानवाधिकार की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है। यह अधिकार सभी मनुष्यों में अन्तर्निहित है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, निवास स्थान, लिंग, मूलवंष, रंग धर्म भाषा इत्यादि कोई भी हो। इन अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा एवं प्रथागत विधि द्वारा व्यक्त और गारण्टी दी गई है। मानवाधिकार, व्यक्तियों के समूहों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए कार्य करती है। अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि, व्यक्तियों पर, युद्धकाल एवं शांतिकाल, दोनों परिस्थितियों या दषाओं में लागू होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि या मानवतावादी विधि, नियमों का एक समूह है, जो मानवता की तलाष करता है, जो सषस्त्र संघर्ष के दौरान, या युद्ध के दौरान, उन व्यक्तियों की रक्षा करता है, जो संघर्ष या युद्ध में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यह संघर्ष या युद्ध के प्रभावों को सीमित करता है और साधनों को प्रतिबंधित करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि:

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत, युद्ध के नियम की निष्चित सीमायें हैं, जिनके भीतर शत्रु के विरूद्ध, शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। युद्ध की विधि में सैनिकों तथा व्यक्तियों के साथ युद्ध के दौरान व्यवहार के नियम शामिल है। इन नियमों को मानवीय कारणों हेतु बनाया गया है। ताकि युद्ध के दौरान, व्यक्तियों को पहुँचायी जाने वाली पीड़ा, अत्याचार तथा निर्दयता को सीमित किया जा सके, तथा संघर्ष के क्षेत्र को सीमित करना है। युद्ध के नियमों का विकास प्राचीन काल से आरम्भ होकर, मध्यकाल तक तथा 19वीं शताब्दी के पूर्व तक युद्ध के नियम, प्रथा के रूप में थे। वर्तमान समय में अनेक संधियां की गई और अधिकतर युद्ध के नियम, बहुपक्षीय संधि के रूप में है। यह संधियां निम्नलिखित है -

(1) पेरिस घोषणा, 1856 (2) जेनेवा अभिसमय, 1864 (3) हेग अभिसमय, 1899 एवं 1907 (4) जेनेवा गैस एण्ड कीटाणु युद्ध प्रोटोकाल, 1925 (5)रेडक्रास जेनेवा अभिसमय 1949 तथा इससे संबंधित प्रोटोकाल(6) जेनेवा युद्धबंदियों तथा युद्ध में घायल, बीमार सैनिकों से संबंधित संधि, 1949(7) युद्ध के समय असैनिक नागरिकों की सुरक्षा संबंधी जेनेवा अभिसमय, 1949 (8) कार्मिकों के विरूद्ध भूमि सुरंग निषिद्ध संधि, 1997 (9) समुद्री युद्ध संबंधी जेनेवा अभिसमय, 1949 (10)वाषिंगटन सम्मेलन, 1922 (हवाई युद्ध से संबंधित) (11) हेग अभिसमय (हवाई युद्ध), 1923(12) सांस्कृतिक सम्पत्ति की सुरक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1925 (13) जेनेवा प्रोटोकाल, 1925 इत्यादि।

उपरोक्त संधियों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि युद्ध के समय सैनिकों, युद्ध बंदियों, नागरिकों, घायल एवं बीमार व्यक्तियों, नागरिक बस्ती, सांस्कृतिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, स्कूल, अस्पताल, खाद्य सामग्री, मृतक व्यक्तियों का सम्मान, जलाषय, वैज्ञानिक प्रयोग का निषिद्ध, शारीरिक विकृति तथा अंगभंग से निषिद्ध, व्यक्तियों को उचित न्याय व्यवस्था, जीवन रक्षक दवाईयों, जलयान एवं नौकाओं, नायिकों, इत्यादि से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इन संधियों एवं अभिसमयों में व्यक्तियों के गरिमा, मानवता संबंधित विधियांे का प्रावधान किया गया है जिसे राज्य पक्षकारों को युद्ध के समय पालन करना चाहिये।

निष्कर्ष:

प्राचीन काल से अब तक, व्यक्तियों एवं राज्यों को यह ज्ञात है कि युद्ध विवादों का समाधान करने का कोई उचित तरीका नहीं है। क्योंकि युद्ध में कोई भी पक्षकार विजयी हो, लेकिन हार होती है मानवता की। युद्ध का दुष्परिणाम यह होता है, कि इससे काफी जन, धन की हानि होती है। कलिंग युद्ध भारतवर्ष में, यूरोपीय देषों, में ग्रोषियस का सिद्धांत, प्रथम विष्व युद्ध एवं द्वितीय विष्व युद्ध के उपरान्त राज्यों ने युद्ध के दुष्परिणाम को देखा तथा समय-समय पर युद्ध के नियम एवं सिद्धांत का निर्माण किया कि युद्ध के समय इसका पालन सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिये। लेकिन दुःख की बात यह है कि राज्य युद्ध के नियम एवं सिद्धांत को, युद्ध के समय, पालन नहीं करते है। परन्तु इस तथ्य से इंकार करते हैं। वर्तमान काल में इसका बेहतरीन उदाहरण रूस बनाम यूक्रेन का युद्ध है। इस युद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का खुला उल्लंघन हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ, मूकदर्षक है एवं हो रहे तमाषे को देख रहा है। जबकि वर्तमान समय में, विकास की इस अन्धी दौर में, युद्ध का युग नहीं बल्कि 'बुद्ध' का दौर है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि "युद्ध कुछ नहीं, बल्कि मानवाधिकार के उल्लंघन की जननी है।" चूँकि मानवीय विधि, मानवाधिकार विधि की एक शाखा है इसलिए युद्ध, मानवीय विधि का प्रबल विरोधी है। यही सत्य वाक्य है। इस पर राज्यों को विचार करना चाहिये।

संदर्भ सूची:

1. डी. के. गोल्ड माइंस बनाम जानसन, (1900) 2 क्यू. बी. 343
2. स्टार्क, जे.जी. "इन्ट्रोडक्षन टु इन्टरनेषनल लॉ", दषम संस्करण, 1989, पृ. 527
3. डॉ. नगेन्द्र सिंह, "दि रिसेन्ट ट्रेन्डस इन द डेवलपमेण्ट ऑफ इण्टरनेषनल लॉ एण्ड आर्गेनाइजेषन इंटर स्टेटको ऑपरेषन एण्ड वर्ड फीस," (1969),पृ. 108
4. ओपेनहाइम, "इन्टरनेषनल लॉ" वाल्यू. 2 पृ. 301
5. साइलेषियन अमेरिकन कारपोरेषन बनाम क्लार्क, (1947) 332 यू.एस. 429
6. पार्थ सारथी गुप्ता, "यूरोप का इतिहास," हिन्दी माध्यम का. निदेषालय, दिल्ली विष्वविद्यालय, संस्करण, 2002,
7. संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945,
8. ज्योति प्रसाद सूद, "पाष्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास," के.नाथ एण्ड क. मेरठ, संस्करण, 2010-11

Corresponding Author

डॉ. शिव शंकर सिंह*

सह प्राध्यापक, विधि विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना

www.ignited.in